संख्या-8/2026 /ए-2-48/दस-2026/2053269/2026

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2-निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3-निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

4-समस्त विभागाध्यक्ष।

वित्त (लेखा) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 24 सितम्बर, 2026

विषय:- वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 में विद्यमान वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन की समीक्षा हेतु गठित कोष्ठक की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदया अनुलग्नक में उल्लिखित वित्तीय अधिकार उनके समक्ष अंकित अधिकारियों को प्रतिनिहित करती हैं।

2- उक्त प्रतिनिधायन तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे और जो विशेष मदें, अनुलग्नक में सम्मिलित हैं, उनके बारे में कालम-5 में अंकित पूर्व प्राधिकार तद्नुसार संशोधित/ निरस्त समझे जायेंगे।

3- वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-1, द्वितीय संस्करण (यथा संशोधित) के संबंधित विवरण पत्र अनुलग्नक के अनुसार संशोधित समझे जायेंगे।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

4- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
दिलीप कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-ए-2-48/दस-2026/2053269 का अनुलग्नक

वि0ह0 पु0 खण्ड-1 का प्रस्तर	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जायेगा	परिसीमाएं	पूर्व प्राधिकार
1	2	3	4	5
विवरण पत्र-II-मुद्रण सम्बन्धी व्यय				
2(ख)	रू० 2 लाख तक के निर्माण कार्यो के अल्पकालीन सूचना संपादित कराने के लिए निविदा सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में देने हेतु।	1-प्रभागीय अधिकारी /अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग 2(1) प्रभागीय अधिकारी/ अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग 2(2) अधिशासी अभियन्ता/ सीनियर हाईड्रोजियोलाजिस्ट /सीनियर जियोफिजिसिस्ट, भूगर्भ जल विभाग 3-प्रभागीय अधिकारी/ अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग	1- किसी एक मामले में रु० 2500 की सीमा तक, किन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार छपाया गया कार्य आवश्यक हो। **टिप्पणी**:-सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित 02 समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाये तथा उपरोक्त अधिकारी द्वारा बिलों का सत्यापन कराया जाये। 2(1) किसी एक मामले में रु० 1000 की सीमा तक, किन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार छपाया गया कार्य आवश्यक हो। **टिप्पणी**:-सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित 02 समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाये तथा उपरोक्त अधिकारी द्वारा बिलों का सत्यापन कराया जाये। 2(2) किसी एक मामले में रु० 1000 की सीमा तक, किन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार छपाया गया कार्य आवश्यक हो। **टिप्पणी**:-सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित 02 समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाये तथा उपरोक्त अधिकारी द्वारा बिलों का सत्यापन कराया जाये। 3- **<u>पूर्ण अधिकार</u>** किन्तु शर्त यह कि इस प्रकार छपाया गया कार्य आकस्मिक कार्यो से सम्बन्धित हो। **टिप्पणी:-** सूचना निदेशक, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित दरों तथा अधिसूचित/सूचीबद्ध न्यूनतम 02 समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाए तथा उपरोक्त अधिकारी द्वारा बिलों का सत्यापन कराया जाए।	शासनादेश सं0-ए-2-1602 /दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
विवरण पत्र-VIII-प्रकीर्ण आकस्मिक व्यय				
5	शजरा और खसरा के लिए अनुमान स्वीकृत करना	1(1) अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई	1(1) आय-व्ययक में निर्दिष्ट धनराशि के अन्तर्गत पूर्ण अधिकार।	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

		विभाग 1(2) अधीक्षण अभियन्ता/ संयुक्त निदेशक, भूगर्भ जल विभाग 2(1) प्रभागीय अधिकारी/ अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई विभाग। 2(2) अधिशासी अभियन्ता/ सीनियर हाईड्रोजियोलाजिस्ट /सीनियर जियोफिजिसिस्ट, भूगर्भ जल विभाग।	1(2) आय-व्ययक में निर्दिष्ट धनराशि के अन्तर्गत पूर्ण अधिकार। 2(1) रू0 10 हजार की सीमा तक। 2(2) रू0 10 हजार की सीमा तक।	
विवरण पत्र-XI-अग्रिम धनराशियाँ				
9-	स्थायी अधीनस्थ और अस्थायी अथवा कार्य प्रभारित (वर्कचार्ज्ड) अधिष्ठान के सदस्यों को उचन्त (इम्प्रेस्ट) स्वीकृत करना।	1. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग 2(1).अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/लघु सिंचाई विभाग। 2(2) अधिशासी अभियन्ता/ सीनियर	1-विभागीय निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में रू० 50 हजार तक तथा अन्य मामलों में उस सीमा तक जो आवश्यक समझी जाए, किन्तु अधिकतम रु० 10 हजार तक और वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-6 के पैरा 166 और 168 में दी हुई शर्तो के अधीन। 2(1)विभागीय निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में रू० 20 हजार तक तथा अन्य मामलों में उस सीमा तक जो आवश्यक समझी जाए, किन्तु अधिकतम रु० 4 हजार तक और वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-6 के पैरा 166 और 168 में दी हुई शर्तो के अधीन। 2(2)विभागीय निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में रू० 20 हजार तक तथा अन्य मामलों में उस सीमा तक जो आवश्यक समझी जाए, किन्तु अधिकतम रु० 4 हजार तक और वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-6 के पैरा 166 और 168 में दी हुई शर्तो के अधीन।	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		हाईड्रोजियोलाजिस्ट /सीनियर जियोफिजिसिस्ट, भूगर्भ जल विभाग।		
विवरण पत्र-XVI-भूमि तथा भवन				
7-	भवनों के निर्माण के लिए चुने गये स्थानों पर स्थित हरे या सूखे वृक्षों को सार्वजनिक नीलामी द्वारा काटने की स्वीकृति प्रदान करना।	1(1) अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग। 1(2)निदेशक, भूगर्भ जल विभाग	1(1) पूर्ण अधिकार 1(2) पूर्ण अधिकार	शासना देश सं0-ए-2-1602/दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
		2(1) अधिशासी अभियन्ता (सिविल) लोक निर्माण विभाग। 2(2) अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।	2(1) रू० 50 हजार तक 2(2) रू0 20 हजार तक **टिप्पणी**:-वन संरक्षण अधिनियम तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के प्राविधानों को ध्यान में रखा जाए एवं वृक्षों के मूल्य की स्वीकृति वन विभाग से प्राप्त कर ली जाए।	शासनादेश सं0-ए-2-1602/दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
विवरण पत्र-XVII-निर्माण कार्य				
1(क)	मूल निर्माण कार्यों के लिए परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना।	1-विभागाध्यक्ष (अभियन्त्रण विभागों के अतिरिक्त)	1-धार्मिक तथा पुरातत्व सम्बन्धी भवनों तथा विद्यमान आवासिक भवनों में सुधार तथा विशेष मरम्मतों के अनुमानों को अपवाद स्वरूप छोडकर किसी एक मामले में रू० 75 लाख तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन (1) यह कि आवासिक भवन शासन द्वारा स्वीकृत मानक डिजाइन लागत के अनुसार निर्मित किये जायेंगे और यह कि निर्माण की लागत उनसे सम्बन्धित अनुज्ञेय वित्तीय सीमाओं या समय समय पर शासन द्वारा नियत की गयी, क्षेत्र सीमाओं से अधिक नहीं होगी और शर्त यह भी है कि निर्माण कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जायेगा जब तक कि शासन द्वारा उसके व्यय की स्वीकृति न प्रदान कर दी जाये।	शासना देशसं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

			(2) आवासिक भवनों में बिजली लगाने का व्यय फन्डामेंटल रूल्स/ तत्सम्बन्धी विषयक शासनादेशों में दी हुई सीमा से अधिक नहीं होना चाहिये और उसमें फिटिंग्स की मात्रा सब्सिडियरी रूल्स के अनुसार होनी चाहिये। (3) अनुमान में स्थायी आवासिक तथा गैर आवासिक भवनों की संख्या उससे अधिक नहीं होनी चाहिये, जो योजना के अनुरक्षण के लिए,जब वह पूरी हो जाये, अनुमोदित माप दण्ड के अनुसार विभिन्न वर्गो के कर्मचारी वर्ग की संख्या के लिए अनुमन्य हो। (4) ऐसे आवासिक भवन (स्थायी अथवा अस्थायी दोनों प्रकार के) जिला मुख्यालयों पर नहीं बनाये जायेंगे जो लोक निर्माण विभाग की एक स्थलीय (पूल्ड) आवास योजना के अन्तर्गत न आते हों। (5) डाक बंगले/रेस्ट हाउस का निर्माण करते समय अन्य डाक बंगलो से निकटता के सिद्वान्त का दृढता से पालन किया जायेगा और उनके निर्माण के लिये शासन की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। (6) गाडियों के लिये (हल्की तथा भारी दोनों प्रकार की) व्यवस्था शासन द्वारा अनुमोदित संख्या (स्केल) के अनुसार की जायेगी और क्रय के लिए आदेश देने से पहले उनकी पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।	
		2(1) मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	2(1)उपर्युक्त-1 में उल्लिखित शर्तों तथा अपवादों के अधीन किसी एक मामले में रू० 10 करोड़ तक।	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
		2(2) मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/लघु सिंचाई विभाग।	2(2)उपर्युक्त-1 में उल्लिखित शर्तों तथा अपवादों के अधीन किसी एक मामले में रू० 4 करोड़ तक।	
		2(3) निदेशक, भूगर्भ जल विभाग	2(3) उपर्युक्त-1 में उल्लिखित शर्तों तथा अपवादों के अधीन किसी एक मामले में रू० 4 करोड़ तक।	
		3(1) अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	3(1) उपर्युक्त-1 में उल्लिखित शर्तो तथा अपवादों के अधीन-किसी एक मामले में रु० 5 करोड़ तक।	शासना देश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
		3(2) अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई	3(2) उपर्युक्त-1 में उल्लिखित शर्तो तथा अपवादों के अधीन किसी एक मामले में रू० 2 करोड़ तक।	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/लघु सिंचाई विभाग। 3(3) अधीक्षण अभियन्ता/ संयुक्त निदेशक, भूगर्भ जल विभाग।	 3(3) उपर्युक्त-1 में उल्लिखित शर्तो तथाअपवादों के अधीन किसी एक मामले में रू० 2 करोड़ तक।	
2	मूल निर्माण कार्य और विस्तार अथवा किसी उच्चतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मूल सहायक निर्माण कार्यों के लिए सामान्य परियोजना सम्बन्धी निर्माण कार्य के निमित्त ब्योरेवार अनुमानों की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करना।	1- मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग	1- पूर्ण अधिकार	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
		2(1) अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग।	2(1) निम्नलिखित मामलों में मुख्य अभियन्ता के पूर्व अनुमोदन के अधीन रु0 2 करोड़ की सीमा तक:- (1) ऐसे नये अथवा वर्तमान जल मार्गों के, जिनका जल निस्सारण शीर्ष पर, 1,000 क्यूसेक से अधिक हो, नदी नियंत्रण के शीर्ष कार्य सम्बन्धी निर्माण कार्य। (2) ऐसे वर्तमान जलमार्गों के, जिनका जल निस्सारण शीर्ष पर 500 क्यूसेक से अधिक हो, निर्माण अथवा कार्य में परिवर्तन सम्बन्धी निर्माण कार्य (3) ऐसे जल मार्गो केनिकट, जिनका जल निस्सारण 1,000 क्यूसेक अथवा उससे अधिक हो, नई चिनायी सम्बन्धी (मासोनरी) निर्माण कार्य अथवा वर्तमान कार्यो में परिवर्तन सम्बन्धी निर्माण कार्य। (4) किसी ऐसे जल मार्ग के, जिसका क्षेत्र एक से अधिक वृत्त में व्याप्त हो, लम्बकाट में परिवर्तन सम्बन्धी निर्माण कार्य। (5) ऐसी वर्तमान जल मार्ग प्रणालियों में परिवर्तन, जिनमे वर्तमान जलमार्गों के	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

			प्राधिकृत जल- निस्सारण में वृद्वि होती हो अथवा ऐसे अतिरिक्त जलमार्गो का निर्माण, जिनमें नहर के प्राधिकृत जल-निस्सारण में वृद्वि करने की आवश्यकता हो। (6) किसी डाक बंगले, आवास अथवा कार्यालय से सम्बन्धित निर्माण कार्य जिसकी लागत रू0 20 हजार से अधिक हो। **टिप्पणी-**अधीक्षण अभियन्ता किसी ऐसी परियोजना को स्वीकृत करने के लिए सक्षम नहीं है, जो विस्तार के बिना अपूर्ण रहती हो, किन्तु जो विस्तार सहित होने पर उसकी स्वीकृति के अधिकार से बाहर हो जाती हो। उसी प्रकार वह अनुमानों को खंडो में स्वीकृत नहीं करेगा, जिसके एक साथ होने पर उच्चतर प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित हो।		
		2(2) अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग।	2(2) निम्नलिखित मामले में मुख्य अभियन्ता के पूर्व अनुमोदन के अधीन रूपये 2 करोड़ की सीमा तक :- (1) ऐसे नये अथवा वर्तमान जल मार्गों के, जिनका जल निस्सारण शीर्ष पर, 1,000 क्यूसेक से अधिक हो, नदीं नियंत्रण के शीर्ष कार्य सम्बन्धी निर्माण कार्य। (2) ऐसे वर्तमान जलमार्गों के, जिनका जल निस्सारण शीर्ष पर 500 क्यूसेक से अधिक हो, निर्माण अथवा कार्य में परिवर्तन सम्बन्धी निर्माण कार्य। (3) ऐसे जल मार्गो के निकट, जिनका जल निस्सारण 1,000 क्यूसेक अथवा उससे अधिक हो, नई चिनायी सम्बन्धी (मासोनरी) निर्माण कार्य अथवा वर्तमान कार्यो में परिवर्तन सम्बन्धी निर्माण कार्य (4) किसी ऐसे जल मार्ग के, जिसका क्षेत्र एक से अधिक वृत्त में व्याप्त हो, लम्बकाट में परिवर्तन सम्बन्धी निर्माण कार्य। (5) ऐसी वर्तमान जलमार्ग प्रणालियों में परिवर्तन, जिनमें वर्तमान जलमार्गों केप्राधिकृत जल निस्सारण में वृद्वि होती हो अथवा ऐसे अतिरिक्त जलमार्गो का निर्माण, जिनमें नहर के प्राधिकृत जल निस्सारण में वृद्वि करने की आवश्यकता हो (6) किसी डाक बंगले, आवास अथवा कार्यालय से सम्बन्धित निर्माण कार्य जिसकी लागत रू0 20 हजार से अधिक हो। **टिप्पणी-**अधीक्षण अभियन्ता किसी ऐसी परियोजना को स्वीकृत करने के लिए सक्षम नहीं है, जो विस्तार के बिना अपूर्ण रहती हो, किन्तु जो विस्तार सहित होने पर उसकी स्वीकृति के अधिकार से बाहर हो जाती हो। उसी प्रकारवह अनुमानों को खंडो में स्वीकृत नही करेगा, जिसके एक साथ होने पर उच्चतर प्राधिकारी की स्वीकृति		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

			अपेक्षित हो।		
		2(3) अधीक्षण अभियन्ता/ संयुक्त निदेशक, भूगर्भ जल विभाग।	2(3) निम्नलिखित मामलों में निदेशक के पूर्व अनुमोदन के अधीन रूपये 2 करोड़ की सीमा तक। (1) ऐसे नये अथवा वर्तमान जल मार्गों के, जिनका जल निस्सारण शीर्ष पर, 1,000 क्यूसेक से अधिक हो, नदीं नियंत्रण के शीर्षकार्य सम्बन्धी निर्माण कार्य (2) ऐसे वर्तमान जलमार्गों के, जिनका जल निस्सारण शीर्ष पर 500 क्यूसेक से अधिक हो, निर्माण अथवा कार्य में परिवर्तन सम्बन्धी निर्माण कार्य। (3) ऐसे जल मार्गो के निकट, जिनका जल निस्सारण 1,000 क्यूसेक अथवा उससे अधिक हो, नई चिनायी सम्बन्धी (मासोनरी) निर्माण कार्य अथवा वर्तमान कार्यो में परिवर्तन सम्बन्धी निर्माण कार्य। (4) किसी ऐसे जल मार्ग के, जिसका क्षेत्र एक से अधिक वृत्त में व्याप्त हो, लम्बकाट में परिवर्तन सम्बन्धी निर्माण कार्य। (5) ऐसी वर्तमान जल मार्ग प्रणालियों में परिवर्तन, जिनमें वर्तमान जलमार्गों के प्राधिकृत जल निस्सारण में वृद्वि होती हो अथवा ऐसे अतिरिक्त जलमार्गो का निर्माण, जिनमें नहर के प्राधिकृत जल-निस्सारण में वृद्वि करने की आवश्यकता हो। (6) किसी डाक बंगले, आवास अथवा कार्यालय से सम्बन्धित निर्माण कार्य जिसकी लागत रू0 20 हजार से अधिक हो। **टिप्पणी**-अधीक्षण अभियन्ता/संयुक्त निदेशक किसी ऐसी परियोजना को स्वीकृत करने के लिए सक्षम नहीं है, जो विस्तार के बिना अपूर्ण रहती हो, किन्तु जो विस्तार सहित होने पर उसकी स्वीकृति के अधिकार से बाहर हो जाती हो। उसी प्रकार वह अनुमानों को खंडो में स्वीकृत नहीं करेगा, जिसके एक साथ होने पर उच्चतर प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित हो।		
		3(1) अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग/लघु	3(1) रु० 80 लाख की सीमा तक विभागीय मैनुअल में उल्लिखित शर्तों के अधीन		

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		सिंचाई विभाग। 3(2) अधिशासी अभियन्ता/ सीनियर हाईड्रोजियोलाजिस्ट /सीनियर जियोफिजिसिस्ट, भूगर्भ जल विभाग।	 3(2) रु० 80 लाख की सीमा तक विभागीय मैनुअल में उल्लिखित शर्तों के अधीन	
4(क)	निर्माण कार्यों के ब्योरेवार अनुमानों/ अनुपूरकअनुमानों/ पुनरीक्षित अनुमानों की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करना।	1(1) मुख्य अभियन्ता (सिविल/ विद्युत/ याँत्रिक), लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग। 1(2) निदेशक, भूगर्भ जल विभाग 2(1) अधीक्षण अभियन्ता(सिविल), लोक निर्माण विभाग 2(2) अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।	1(1) पूर्ण अधिकार। 1(2) पूर्ण अधिकार। 2(1) रु० 5 करोड़ की सीमा तक 2(2) रु० 2 करोड़ की सीमा तक	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995 शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		2(3) अधीक्षण अभियन्ता/संयुक्त निदेशक, भूगर्भ जल विभाग	2(3) रु० 2 करोड़ की सीमा तक	
		3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक, लोक निर्माण विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।	3.रु० 40 लाख की सीमा तक	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
		4(1) अधिशासी अभियन्ता(सिविल) व कार्य अधीक्षक लोक निर्माण विभाग	4(1) रु० 2 करोड की सीमा तक	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
		4(2) अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।	4(2) रु० 80 लाख की सीमा तक	
		4(3) अधिशासी अभियन्ता/ सीनियर हाईड्रोजियोलाजिस्ट / सीनियर जियोफिजिसिस्ट, भूगर्भ जल विभाग	4(3) रु० 80 लाख की सीमा तक	
		5- अधिशासी अभियन्ता विद्युत एवं यांत्रिक, लोक निर्माण विभाग/ ग्रामीण	5- रु० 8 लाख की सीमा तक	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		अभियन्त्रण विभाग।		
5(क)	स्वीकृत मूल आगणन में हुए व्ययाधिक्य की स्वीकृति प्रदान करना।	1(1) अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/लघु सिंचाई विभाग।	1(1) 5 प्रतिशत की सीमा तक	शासनादेशसं0-ए-2-1602/दस -95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
		1(2) अधिशासी अभियन्ता/ सीनियर हाईड्रोजियोलाजिस्ट /सीनियर जियोफिजिसिस्ट, भूगर्भ जल विभाग	1(2) 5 प्रतिशत की सीमा तक	
		2(1) अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/लघु सिचाई विभाग।	2(1) 5 प्रतिशत से अधिक एवं 7.5 प्रतिशत की सीमा तक	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
		2(2) अधीक्षण अभियन्ता/संयुक्त निदेशक, भूगर्भ जल विभाग	2(2) 5 प्रतिशत से अधिक एवं 7.5 प्रतिशत की सीमा तक	
		3(1) मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/लघु	3(1) 7.5 प्रतिशत से अधिक एवं 15 प्रतिशत की सीमा तक	शासनादेशसं0-ए-2-1602/दस -95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		सिंचाई विभाग। 3(2) निदेशक, भूगर्भ जल विभाग 4. प्रशासकीय विभाग; लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/ लघु सिंचाई विभाग एवं भूगर्भ जल विभाग से सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग	3(2) 7.5 प्रतिशत से अधिक एवं 15 प्रतिशत की सीमा तक 15 प्रतिशत से अधिक **उपर्युक्त अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे-** 1. व्ययाधिक्य अथवा अनुमानित वृद्धि केवल निर्माण सामग्री एवं श्रम के मूल्य से पूर्णतया सम्बन्धित हो। 2. व्ययाधिक्य के समायोजन के लिए बजट प्राविधान में बचत उपलब्ध हो। 3. व्ययाधिक्य को केवल एक बार समायोजित करने का अधिकार होगा, और यदि उसके बाद भी व्ययाधिक्य होता है तो उसके लिए शासन से संशोधित वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
5(ख)	स्वयं उसके द्वारा अथवा उच्चतर प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मूल अनुमान के ऊपर बढ़ती स्वीकृत करना	1(1) अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/लघु सिचाई विभाग। 1(2) अधिशासी अभियन्ता/ सीनियर हाईड्रोजियोलाजिस्ट /सीनियर	1(1) 5 प्रतिशत की सीमा तक 1(2) 5 प्रतिशत की सीमा तक	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		जियो फिजिसिस्ट , भूगर्भ जल विभाग		
		2(1) अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/लघु सिंचाई विभाग।	2(1) 5 प्रतिशत से अधिक एवं 7.5 प्रतिशत की सीमा तक	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
		2(2) अधीक्षण अभियन्ता/संयुक्त निदेशक, भूगर्भ जल विभाग।	2(2) 5 प्रतिशत से अधिक एवं 7.5 प्रतिशत की सीमा तक	
		3(1) मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग / लघु सिंचाई विभाग।	3(1) 7.5 प्रतिशत से अधिक एवं 15 प्रतिशत की सीमा तक	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिक 1.06.1995
		3(2) निदेशक, भूगर्भ जल विभाग	3(2) 7.5 प्रतिशत से अधिक एवं 15 प्रतिशत की सीमा तक	
		4. प्रशासकीय विभाग; लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/लघु सिंचाई विभाग एवं भूगर्भ जल विभाग से	15 प्रतिशत से अधिक	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

		सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग	**उपर्युक्त अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगेः-** 1. स्वयं या उच्च अधिकारी द्वारा मूल स्वीकृत प्राक्कलन के ऊपर बढ़ती की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा सकेगी कि कुल अधिकता की धनराशि प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति के उनके अधिकार की सीमा तक है। 2. किसी उच्चतर प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित अनुमान की कोई बढ़ती धनराशि स्वीकृत करने का अधिकार अधीनस्थ प्राधिकारी को न होगा। जब बढ़ती निर्माण की ऐसी उन्नत अवस्था में स्थित हो जिससे कि पुनरीक्षित अनुमान का प्रस्तुत करना प्रयोजन रहित हो जाता हो और बढ़ती का स्पष्टीकरण कार्य समाप्ति सूचना में (वित्तीय नियम संगह खण्ड-6 के प्रस्तर-398 के अधीन) कर दिया गया हो, कार्य-समाप्ति सूचना पारित करने के उसके अधिकार, पुनरीक्षित अनुमान स्वीकृत करने के उसके अधिकारों के समरुप ही होंगे। **टिप्पणी-** (1) अधीक्षण अभियन्ता स्वीकृत मूल निर्माण कार्यों और मरम्मत पर रु0 1000 की सीमा के अन्दर अधिक व्यय भी स्वीकृत अनुमान की कुल धनराशि पर विचार किये बिना पारित कर सकता है। (वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-6 का प्रस्तर-398) (2) किसी अधीक्षण अभियन्ता या अधिशासी अभियन्ता तथा भू-गर्भ जल विभाग के अधीक्षण अभियन्ता/संयुक्त निदेशक या अधिशासी अभियन्ता/ सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट/ सीनियर जियोफिजिसिस्ट को किसी उच्चतर अधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित अनुमान से कोई भी अधिक धनराशि स्वीकृत करने का कोई अधिकार न होगा।	
6	स्वीकृत अनुमानों में प्रासंगिक व्यय के लिए की गयी व्यवस्था को किसी ऐसे अतिरिक्त/ नये कार्य या मरम्मत के व्यय को पूरा करने के लिए परिवर्तित करना जिसके लिए अनुमान में कोई व्यवस्था न की गयी हो।	1(1) अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/लघु सिचाई विभाग। 1(2) अधीक्षण अभियन्ता/ संयुक्त निदेशक, भूगर्भ जल विभाग	1(1) पूर्ण अधिकार 1(2) पूर्ण अधिकार	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		2(1) अधिशासी अभियन्ता (सिविल) व कार्य अधीक्षक, लोक निर्माण विभाग 2(2) अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग 3- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/ लघु सिंचाई विभाग 4- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत / याँत्रिक, लोक निर्माण विभाग	2(1) रू0 1 लाख 25 हजार की सीमा तक 2(2) रू0 50 हजार की सीमा तक 3- रू0 30 हजार की सीमा तक 4- रू0 20 हजार की सीमा तक	
15(ख)	**<u>विशेष मरम्मतें:-</u>** विशेष मरम्मतो के अनुमानों की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करना।	1(1) अधीक्षण अभियन्ता (सिविल), लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/ लघु सिंचाई विभाग। 1(2) अधीक्षण अभियन्ता/ संयुक्त निदेशक, भूगर्भ जल विभाग	1(1) पूर्ण अधिकार 1(2) पूर्ण अधिकार	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

		1(3) मुख्य अभियन्ता (वि0 /याँ0), लोक निर्माण विभाग	1(3) पूर्ण अधिकार **टिप्पणी:-** यदि ऐसे मरम्मत से मुख्य नहर अथवा शाखा जहाँ कुल जलपूर्ति 1,000 क्यूसेक से अधिक हो, की डिजाइन में परिवर्तन होता हो, अथवा ऐसी मरम्मतसे किसी जल मार्ग की पूर्ण जलपूर्ति निकासी में वृद्धि हो, तो मुख्य अभियन्ता की पूर्व स्वीकृति के अधीन।	
		2- अधीक्षण अभियन्ता, (वि0/ याँ0), लोक निर्माण विभाग	2- रूपये 40 लाख की सीमा तक	
		3(1) अधिशासी अभियन्ता (सिविल) व कार्य अधीक्षक, लोक निर्माण विभाग।	3(1) प्रत्येक अनुमान के लिए रू० 12.5 लाख तक आवासिक भवनों के मामलों को छोडकर	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
		3(2) अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/ लघु सिंचाई विभाग।	3(2) प्रत्येक अनुमान के लिए रू० 5 लाख तक आवासिक भवनों के मामलों को छोडकर	
		3(3) अधिशासी अभियन्ता/ सीनियर हाईड्रोजियोलाजिस्ट /सीनियर जियोफिजिसिस्ट, भूगर्भ जल विभाग	3(3) प्रत्येक अनुमान के लिए रू० 5 लाख तक आवासिक भवनों के मामलों को छोडकर	

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		4- अधिशासी अभियन्ता (प्रभागीय अधिकारी) सिंचाई विभाग	4- रु0 5 लाख की सीमा तक सिवाय निम्नलिखित मामलों तक, जिनमें अधीक्षण अभियन्ता की स्वीकृति आवश्यक होगी- 1. ऐसे निर्माण कार्यो अथवा मरम्मतो के लिए जिनमें 200 क्यूसेक से अधिक अथवा उससे कम जल ले जाने वाले जलमार्ग की डिजाइन में परिवर्तन होता हो, प्रभागीय अधिकारी अनुमान स्वीकृत करने से पूर्व अधीक्षण अभियन्ता की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लेंगे। 2. नहरों, उसकी उप शाखाओं में दरार पडने के कारण नष्ट हुई फसल के लिए रु0 2 हजार से अधिक का मुआवजा। 3. किसी डाक बंगले, रहने के मकानअथवा कार्यालय की विशेष मरम्मत जो रू0 2 हजार से अधिक होती हो, अथवा उस भवन की डिजाइन में या ऐसे भवन के उपयोग में कोई परिवर्तन होता हो।	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
22.	गैर आवासिक भवनों में बिजली सम्बन्धी निर्माण कार्यो के लिए अनुमानों की प्रशास कीय स्वीकृति प्रदान करना	1(1) मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	1(1) रू० 7.50 लाख की सीमा तक।	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
		1(2) मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/ लघु सिंचाई विभाग	1(2) रू० 3 लाख की सीमा तक।	
		1(3) निदेशक भूगर्भ जल विभाग	1(3) रू० 3 लाख की सीमा तक।	
		2(1) अधीक्षण अभियन्ता, सिविल व विद्युत/ यॉत्रिक, लोक निर्माण विभाग	2(1) रू० 2.50 लाख की सीमा तक	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
		2(2) अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/ लघु	2(2) रू० 1 लाख की सीमा तक	

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		सिंचाई विभाग। 2(3) अधीक्षण अभियन्ता/ संयुक्त निदेशक , भूगर्भ जल विभाग 3- प्रशासकीय विभाग	2(3) रू० 1 लाख की सीमा तक 3- पूर्ण अधिकार	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
24.	भवनों के निर्माण के लिये अपेक्षित भूमि के प्राविधिक अनुमान स्वीकृत करना।	1(1) अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/लघु सिंचाई विभाग 1(2) निदेशक, भूगर्भ जल विभाग 1(3) अधीक्षण अभियन्ता/ संयुक्त निदेशक, भूगर्भ जल विभाग	1(1) पूर्ण अधिकार 1(2) पूर्ण अधिकार 1(3) रू0 4 लाख की सीमा तक	शासनादेश सं0-ए-2-1602 /दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
		2(1) अधिशासी अभियन्ता(सिविल) व कार्य अधीक्षक, लोक निर्माण विभाग। 2(2) अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग/ग्रामीण	2(1) रू० 10 लाख की सीमा तक 2(2) रू० 4 लाख की सीमा तक	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

		अभियन्त्रण विभाग/ लघु सिंचाई विभाग		
28.	सूखा सहायता कार्यो के लिए प्राविधिक अनुमान स्वीकृत करना।	1(1) मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/ लघु सिंचाई विभाग	1- पूर्ण अधिकार	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
		1(2) निदेशक, भूगर्भ जल विभाग	1(2) पूर्ण अधिकार	
		2(1) अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) लोक निर्माण विभाग	2(1) रु० 5 करोड की सीमा तक	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
		2(2) अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/ लघु सिंचाई विभाग।	2(2) रु० 2 करोड की सीमा तक	
		2(3) अधीक्षण अभियन्ता/ संयुक्त निदेशक, भूगर्भ जल विभाग	2(3) रु० 2 करोड की सीमा तक	
		3(1) अधिशासी अभियन्ता, (सिविल) व कार्य अधीक्षक लोक निर्माण विभाग	3(1) रु० 2 करोड़ की सीमा तक	शासनादेश सं0-ए-2-1602 /दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		3(2) अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/ लघु सिंचाई विभाग। 3(3) अधिशासी अभियन्ता/ सीनियर हाईड्रोजियोलाजिस्ट / सीनियर जियोफिजिसिस्ट, भूगर्भ जल विभाग। 4-मंडलों के आयुक्त	3(2) रु० 80 लाख की सीमा तक 3(3) रु० 80 लाख की सीमा तक 4- रु० 5 लाख की सीमा तक, सामान्य दरों पर लागत की सीमा।	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
30	निक्षेप कार्यो के निष्पादन की स्वीकृति प्रदान करना।	1(1) मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग / सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/लघु सिंचाई विभाग 1(2) निदेशक, भूगर्भ जल विभाग	1(1) पूर्ण अधिकार, किन्तु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-6 के पैरा-392 तथा 633 से 636 तक में दी हुयी प्रक्रिया अपनाई जाय। 1(2) पूर्ण अधिकार, किन्तु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-6 के पैरा-392 तथा 633 से 636 तक में दी हुयी प्रक्रिया अपनाई जाय।	शासनादेश सं0-ए-2-1602/द स-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
विवरण पत्र- XVIII -ठेके और टेन्डर				
2.	किसी स्वीकृत निर्माण कार्य के अथवा उसके किसी एक भाग के निष्पादन के लिए टेन्डर स्वीकृत करना।	1(1) मुख्य अभियन्ता (सिविल/ विद्युत/यात्रिक), लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई	1(1) पूर्ण अधिकार	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

		विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/ लघु सिंचाई विभाग		
		1(2) निदेशक, भूगर्भ जल विभाग	1(2) पूर्ण अधिकार	
		2(1)अधीक्षण अभियन्ता (सिविल), लोक निर्माण विभाग	2(1) पूर्ण अधिकार,परन्तु रु० 5 करोड़ से अधिक के कार्य में मुख्य अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
		2(2) अधीक्षण अभियन्ता,सिंचाई विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/ लघु सिंचाई विभाग।	2(2) पूर्ण अधिकार, परन्तु रु० 2 करोड़ से अधिक के कार्य में मुख्य अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।	
		2(3) अधीक्षण अभियन्ता/संयुक्त निदेशक, भूगर्भ जल विभाग	2(3) पूर्ण अधिकार, परन्तु रु० 2 करोड़ से अधिक के कार्य में निदेशक, भूगर्भ जल विभाग का अनुमोदन आवश्यक होगा।	
		2(4) अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत/ या0), लोक निर्माण विभाग	2(4) रू0 40 लाख की सीमा तक	
		3(1) अधिशासी अभियन्ता(सिविल)	3(1) रू० 2 करोड़ की सीमा तक	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		व कार्य अधीक्षक लोक निर्माण विभाग		दिनांक 01.06.1995
		3(2) अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग	3(2) रू० 80 लाख की सीमा तक	
		4(1) अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/ लघु सिंचाई विभाग।	4(1) रू० 40 लाख की सीमा तक	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
		4(2) अधिशासी अभियन्ता/ सीनियर हाईड्रोजियोलाजिस्ट /सीनियर जियो फिजिसिस्ट, भूगर्भ जल विभाग	4(2) रू० 40 लाख की सीमा तक	
		5(1) अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/ यांत्रिक), लोक निर्माण विभाग	5(1) रू० 8 लाख की सीमा तक	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
		5(2) अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/ यांत्रिक), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग	5(2) रू० 4 लाख की सीमा तक	
		6(1) सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	6(1) रू० 10 लाख की सीमा तक	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

		(सिविल) 6(2) सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/ लघु सिंचाई विभाग। 6(3) सहायक अभियन्ता/ हाईड्रोलाजिस्ट/ सहायक जियोफिजिसिस्ट, भूगर्भ जल विभाग 6(4) सहायक अभियन्ता(वि/या0), लोक निर्माण विभाग	6(2) रू० 4 लाख की सीमा तक 6(3) रू० 4 लाख की सीमा तक 6(4) रू० 2 लाख की सीमा तक	
7	मूल मरम्मतों और कार्य के समस्त मामलों में कार्य पूरा हो जाने पर ठेकेदारों को प्रति भूति जमाओं की वापसी स्वीकृत करना।	1(1) अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई विभाग/ लघु सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग। 1(2) अधिशासी अभियन्ता/ सीनियर हाईड्रोजियोलाजिस्ट / सीनियर जियोफिजिसिस्ट, भूगर्भ जल विभाग।	1(1) पूर्ण अधिकार 1(2) पूर्ण अधिकार	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		2- उप प्रभागीय अधिकारी अथवा अनुभागों के प्रभारी/ सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/ लघु सिंचाई विभाग	2- ऐसे मामलों में जहाँ कार्य की धनराशि, ठेके स्वीकृत करने के उनके अधिकारों से अधिक न हो, वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-6 के पैरा-618 के उपबन्धों के अधीन।	
विवरण पत्र- XX-भण्डार और सामग्री				
10.	औजारों और संयत्र का क्रय और उनके लिये आवश्यक अनुमान तथा पुनरीक्षित अनुमान स्वीकृत करना।	1(1) मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/ लघु सिंचाई विभाग	1(1) पूर्ण अधिकार	शासनादेश सं0-ए-2-1602/दस-95-24(14) -95 दिनांक 01.06.1995
		1(2) निदेशक, भूगर्भ जल विभाग	1(2) पूर्ण अधिकार	
		2(1) अधीक्षण अभियन्ता, व कार्य अधीक्षक, सिविल/ विद्युत/ यांत्रिक, लोक निर्माण विभाग	2(1) रू० 5 लाख की सीमा तक	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
		2(2) अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण	2(2) रू० 2 लाख की सीमा तक	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

		विभाग/ लघु सिंचाई विभाग। 2(3) अधीक्षण अभियन्ता/संयुक्त निदेशक, भूगर्भ जल विभाग 3(1) अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग 3(2) अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/ लघु सिंचाई विभाग। 3(3) अधिशासी अभियन्ता/ सीनियर हाईड्रोजियोलाजिस्ट /सीनियर जियो फिजिसिस्ट, भूगर्भ जल विभाग।	2(3) रू० 2 लाख की सीमा तक 3(1) रू० 1 लाख की सीमा तक। 3(2) रू० 40 हजार की सीमा तक। 3(3) रू० 40 हजार की सीमा तक।	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14) -95 दिनांक 01.06.1995
15.	निर्धारित माप (स्केल) के अनुसार तम्बुओं की खरीद और उसके लिये आवश्यक अनुमान (पुनरीक्षित अनुमान सहित) स्वीकृत करना।	1(1) अधीक्षण अभियन्ता व कार्य अधीक्षक (सिविल/ विद्युत/ यांत्रिक)/ लोक निर्माण विभाग, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण	1(1) पूर्ण अधिकार	शासनादेशसं0-ए-2-1602/दस -95-24(14) -95 दिनां 01.06.1995

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		विभाग/लघु सिंचाई विभाग। 1(2) अधीक्षण अभियन्ता/संयुक्त निदेशक, भूगर्भ जल विभाग 2(1) अधिशासी अभियन्ता, (सिविल/ विद्युत/ यांत्रिक)/ लोक निर्माण विभाग 2(2) अधिशासी अभियन्ता,सिंचाई विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/ लघु सिंचाई विभाग। 2(3) अधिशासी अभियन्ता/ सीनियर हाईड्रोजियोलाजिस्ट /सीनियर जियो फिजिसिस्ट, भूगर्भ जल विभाग।	1(2) पूर्ण अधिकार 2(1) रू० 25 हजार की सीमा तक 2(2) रू०10 हजार की सीमा तक 2(3) रू०10 हजार की सीमा तक	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
21.	औजारों और संयंत्र की मरम्मत और ढुलाई के लिए अनुमान स्वीकृत करना।	1(1) अधीक्षण अभियन्ता व कार्य अधीक्षक (सिविल/ विद्युत/ यांत्रिक), लोक निर्माण विभाग, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग/लघु	1(1). पूर्ण अधिकार	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

		सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।		
		1(2) अधीक्षण अभियन्ता/संयुक्त निदेशक, भूगर्भ जल विभाग	1(2) पूर्ण अधिकार	
		2(1) अधिशासी अभिंयता, (सिविल/ विद्युत/यांत्रिक), लोक निर्माण विभाग	2(1) रू० 50 हजार की सीमा तक	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
		2(2) अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।	2(2) रू० 20 हजार की सीमा तक	
		2(3) अधिशासी अभियन्ता/ सीनियर हाईड्रोजियोलाजिस्ट /सीनियर जियो फिजिसिस्ट, भूगर्भ जल विभाग।	2(3) रू० 20 हजार की सीमा तक	
25 (क)	किसी भंडार को (सामग्री, औजार और संयंत्र, स्थल पर वस्तुयें	1(1) प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग /	1(1) पूर्ण अधिकार	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

	और विघटित किये गये निर्माण कार्यो से प्राप्त सामग्री सहित) फालतू घोषित करना तथा सार्वजनिक नीलामी द्वारा उनका विक्रय स्वीकृत करना।	सिंचाई विभाग 1(2) निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग 1(3) निदेशक, भूगर्भ जल विभाग	1(2) पूर्ण अधिकार 1(3)पूर्ण अधिकार	
		2(1) मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	2(1) रु० 25 लाख के पुस्तक मूल्य तक	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
		2(2) मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग।	2(2) रु० 10 लाख के पुस्तक मूल्य तक	
		3(1) अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	3(1) रू० 2.50 लाख के पुस्तक मूल्य तक।	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
		3(2) अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/ लघु सिंचाई विभाग।	3(2) रू० 1 लाख के पुस्तक मूल्य तक।	
		3(3) अधीक्षण अभियन्ता/संयुक्त निदेशक, भूगर्भ जल विभाग	3(3) रू० 1 लाख के पुस्तक मूल्य तक।	
		4(1) अधिशासी	4(1) रु० 25 हजार के पुस्तक मूल्य तक।	शासनादेश सं0-ए-2-1602/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग 4(2) अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/ लघु सिंचाई विभाग। 4(3) अधिशासी अभियन्ता/ सीनियर हाईड्रोजियोलाजिस्ट /सीनियर जियो फिजिसिस्ट, भूगर्भ जल विभाग।	 4(2) रु०10 हजार के पुस्तक मूल्य तक। 4(3) रु०10 हजार के पुस्तक मूल्य तक।	दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
25 (ख)	(1) किसी भंडार को (सामग्री, औजारऔर संयंत्र, स्थल पर वस्तुयें और विघटित किये गये निर्माण कार्यो से प्राप्त सामग्री सहित) निष्प्रयोज्य घोषित करना	1(1) प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग / सिंचाई विभाग। 1(2) निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/ मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग 1(3) निदेशक, भूगर्भ जल विभाग। 2(1) मुख्य	1(1) पूर्ण अधिकार 1(2) पूर्ण अधिकार 1(3) पूर्ण अधिकार 2(1) रु० 50 लाख के पुस्तक मूल्य तक	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995 शासनादेश सं0-ए-2-1602/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग		दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
		2(2) मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग।	2(2) रु० 20 लाख के पुस्तक मूल्य तक	
		3(1) अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	3(1) रु० 5 लाख के पुस्तक मूल्य तक	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
		3(2) अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/ लघु सिंचाई विभाग।	3(2) रु० 2 लाख के पुस्तक मूल्य तक	
		3(3) अधीक्षण अभियन्ता/संयुक्त निदेशक, भूगर्भ जल विभाग	3(3) रु० 2 लाख के पुस्तक मूल्य तक	
		4(1) अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	4(1) रु० 50 हजार के पुस्तक मूल्य तक	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
		4(2) अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/ लघु सिंचाई विभाग।	4(2) रु० 20 हजार के पुस्तक मूल्य तक	
		4(3) अधिशासी	4(3) रु० 20 हजार के पुस्तक मूल्य तक	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		अभियन्ता/ सीनियर हाईड्रोजियोलाजिस्ट /सीनियर जियो फिजिसिस्ट, भूगर्भ जल विभाग।		
25 (ख)	(2) उपर्युक्त घोषित निष्प्रयोज्य भण्डार को सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय करना अथवा अन्य प्रकार से नष्ट किया जाना स्वीकृत करना।	1(1) प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई विभाग	1(1) पूर्ण अधिकार	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
		1(2) निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/ मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग	1(2) पूर्ण अधिकार	
		1(3) निदेशक, भूगर्भ जल विभाग।	1(3) पूर्ण अधिकार	
		2(1) मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	2(1) रु० 25 लाख के पुस्तक मूल्य तक, परन्तु मुख्य अभियन्ता स्तर-1 की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
		2(2) मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग।	2(2) रु० 10 लाख के पुस्तक मूल्य तक	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

		3(1) अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	3(1) रु० 2.50 लाख के पुस्तक मूल्य तक	शासनादेश सं0-ए-2-1602 / दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
		3(2) अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/ लघु सिंचाई विभाग।	3(2) रु० 1 लाख के पुस्तक मूल्य तक	
		3(3) अधीक्षण अभियन्ता/ संयुक्त निदेशक, भूगर्भ जल विभाग	3(3) रु० 1 लाख के पुस्तक मूल्य तक	
		4(1) अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	4(1) रु० 25 हजार के पुस्तक मूल्य तक	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
		4(2) अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/ लघु सिंचाई विभाग।	4(2) रु० 10 हजार के पुस्तक मूल्य तक	
		4(3) अधिशासी अभियन्ता/ सीनियर हाईड्रोजियोलाजिस्ट /सीनियर जियो फिजिसिस्ट, भूगर्भ जल विभाग	4(3) रु० 10 हजार के पुस्तक मूल्य तक	
			टिप्पणीः- (1) अधीक्षण अभियन्ता द्वारा इन प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग उनकी	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

			अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति, जिसके सदस्य क्रमशः सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, जिले में तैनात वरिष्ठ सहायक अभियन्ता तथा जिला कोषाधिकारी होंगे, के माध्यम से किया जायेगा। (2) कृत कार्यवाही की सूचना अधीक्षण अभियन्ता द्वारा एक सप्ताह के अन्दर मुख्य अभियन्ता तथा महालेखाकार, उ0प्र0, को दी जाएगी। (3) कृत कार्यवाही की सूचना अधिशासी अभियन्ता द्वारा एक सप्ताह के अन्दर अधीक्षण अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को दी जाएगी। (4) इस सम्बन्ध में शासन के विद्युत निरीक्षक एवं परिवहन आयुक्त को पूर्व से प्रतिनिहित अधिकार जिनका उल्लेख निम्नवत है, यथावत बने रहेंगे- (1) शासन रु० 2 हजार के पुस्तक मूल्य तक के विद्युत निरीक्षक। (2) परिवहन रु० 10 हजार के पुस्तक मूल्य तक आयुक्त।	
27	ऐसी सामग्री का (औजार और संयंत्र नहीं), जो न फालतू हो और न निष्प्रयोज्य हो, पूर्ण मूल्य लागत पर सामान्य पर्यवेक्षण शुल्क जोड़कर, अन्तर्विभागीय स्थानान्तरण करना।	1(1) अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/लघु सिंचाई विभाग। 1(2) अधीक्षण अभियन्ता/संयुक्त निदेशक, भूगर्भ जल विभाग 2(1) अधिशासी अभिंयता, लोक निर्माण विभाग 2(2) अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/ लघु सिंचाई विभाग।	1(1) पूर्ण अधिकार 1(2) पूर्ण अधिकार 2(1) किसी एक मामले में रू० 50 हजार के पुस्तक मूल्य तक 2(2) किसी एक मामले में रू० 20 हजार के पुस्तक मूल्य तक	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995 शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		2(3) अधिशासी अभियन्ता/ सीनियर हाईड्रोजियोलाजिस्ट /सीनियर जियो फिजिसिस्ट, भूगर्भ जल विभाग।	2(3) किसी एक मामले में रू० 20 हजार के पुस्तक मूल्य तक	
		3(1) सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	3(1) किसी एक मामले में रू० 10 हजार के पुस्तक मूल्य तक	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
		3(2) सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।	3(2) किसी एक मामले में रू० 4 हजार के पुस्तक मूल्य तक	
		3(3) सहायक अभियन्ता/ हाईड्रोलाजिस्ट/ सहायक जियोफिजिसिस्ट, भूगर्भ जल विभाग	3(3) किसी एक मामले में रू० 4 हजार के पुस्तक मूल्य तक	
35	स्वीकृत मात्रा से अधिक परिमाण में रेखण सर्वेक्षण (ड्राईंग सर्वेक्षण) तथा गणितीय उपकरण (मैथमेटिक इस्टूमेन्टस) रखना।	1(1) मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/ लघु सिंचाई विभाग	1(1) पूर्ण अधिकार	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

		1(2) निदेशक, भूगर्भ जल विभाग	1(2) पूर्ण अधिकार	
		2(1) अधीक्षण अभियन्ता, (सिविल /विद्युत/ यांत्रिक), लोक निर्माण विभाग तथा अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/लघु सिंचाई विभाग।	2(1) पूर्ण अधिकार इस प्रतिबन्ध के साथ कि इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना मुख्य अभियन्ता विभाग को भेजी जाए।	शासनादेश सं0-ए-2-1602/ दस-95-24(14)-95 दिनांक 01.06.1995
		2(2) अधीक्षण अभियन्ता / संयुक्त निदेशक, भूगर्भ जल विभाग	2(2) पूर्ण अधिकार इस प्रतिबन्ध के साथ कि इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना निदेशक भूगर्भ जल विभाग को भेजी जाए।	

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।